राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1729/2011/अजमेर.

मैसर्स श्री ज्योति बैटरी इण्डस्ट्रीज, अजमेर. .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, अजमेर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ. पी. माहेश्वरी,
अधिकृत प्रतिनिधि .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13/02/2014

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 169/10–11/वैट/अजमेर में पारित किये गये आदेश दिनांक 19.7.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत–अजमेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 20.7.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 का नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 17.2.2009 को पारित किया गया। उक्त आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आस्थगन योजना का लाभ स्वीकृत सीमा से अधिक प्रदान कर दिया जाना मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन आदेश दिनांक 20.7.2009 को पारित करते हुए अतिरिक्त कर व ब्याज सहित कुल राशि रूपये 32,220/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.7.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि अधिनियम की धारा 33 का कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी अपने पूर्व आदेश को रेकॉर्ड पर उपलब्ध भूल परिलक्षित नहीं होने के कारण संशोधित नहीं कर सकते थे। पूर्व आदेश सचेतन मस्तिष्क से किया गया था। अब मत भिन्नता के कारण परिशोधनीय नहीं है। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने परिशोधन आदेश पारित किया है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी उसकी पुष्टि कर विधिक भूल की है।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने परिशोधन आदेश से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया है, जो कि न्याय के स्थापित सिद्धान्त के खिलाफ है, इसलिए भी परिशोधन आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने धारा 33 के तहत परिशोधन को निम्न न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में भी विधिसम्मत नहीं बताया है :—

1. **(2007) 10 वी.एस.टी. 751 (एस.सी.)**
2. **(2005) 142 एस.टी.सी. 107 (एस.सी.)**
3. **(2011) 29 टैक्स अपडेट 253 (एस.सी.)**
4. **आर. के. मार्बल प्रा0 लि0 अपील संख्या 956—962/2007/अजमेर व 1108—1114/2009/अजमेर निर्णय दिनांक 24.10.2011 (रा.क.बो.)**
5. **ओमेगा स्टोन्स प्रा0 लि0 बनाम सी.टी.ओ. विशेष वृत (2012) 33 टैक्स अपडेट 53 (रा.क.बो.)**

उक्त आधार पर अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश व कर निर्धारण अधिकारी के परिशोधन आदेश को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने मात्र गणीतीय भूल को सुधार करते हुए परिशोधन आदेश पारित किया है, जो कि धारा 33 की परिधि में होने से विधिक है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा भी पुष्टि की जाकर कोई भूल नहीं की गई है। अतः अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 20.7.2009 को परिशोधन आदेश पारित कर आदेशिका में अंकित किया है कि —

लगातार.....3

"पत्रावली पेश। व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का आदेश दिनांक 17.2.2009 को पारित किया गया, जिसमें व्यवहारी का कुल 507400/– था। ITC 96725/– देय थी। व्यवहारी का Deferment option के अनुसार 60% का आस्थगन लाभ स्वीकृत किया जाना चाहिये था। व्यवहारी का कर दायित्व (507400 – ITC (96725/–) = 4,10,675/– होता है। आस्थगन लाभ 60% से 2,46,405/– का देय था इस प्रकार से पूर्व में 24,225/– का आस्थगन लाभ अधिक स्वीकृत कर समायोजन कर दायित्व में किया गया। व्यवहारी का अति मांग 24,225/– की अति कर दायित्व से ब्याज 7995/– की आरोपित की जाती है।

मांग पत्र Rs. 32,220/– का जारी हो।"

पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दायित्व में वृद्धि करने के संशोधन आदेश से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी अपील आधार में यह तथ्य स्पष्ट अंकित किया गया, फिर भी अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध पारित आदेश की पुष्टि कर विधिक भूल की है।

इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि पूर्व कर निर्धारण आदेश में संशोधन हेतु सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
13/0